

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

ईमेल- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/140/2016/एफ0 सी0/1307

दिनांक 10.05.2019

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - अल्मोड़ा में खुँट काकडीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.983 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/15503/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2590/FP/UK/ROAD/15503/2015 दिनांक 27-03-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 15.07.2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 04 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्र दिनांक 27.03.2019 द्वारा प्रस्तुत की है। चूँकि मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम में मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत दिनांक 25.09.2017 में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पेड़ों की स्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर भी आवश्यक जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- 1- State Government may submit original hard copy of the proposal along with Part I, II and III.
- 2- It is seen from the KML file of the proposed road that all the villages are already connected with road but in justification it is mentioned that 03 villages will be benefitted from the proposed road. State Government is required to submit the justification for the requirement of the road.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल) 10/5/19

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)